


| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक |
|----------|---|--------------------------------|
| 26-07-22 | <p style="text-align: center;">मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड बनाम ओमप्रकाश</p> | |
| | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है जो स्वीकार होकर निस्तारण किया जा चुका है। अनावेदकगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः मूल वाद का निस्तारण होने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ </p> | |

